प्रेस विज्ञप्ति

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के उपरान्त मतदेय स्थल पर 1300 से अधिक मतदाता हो जाने, मतदेय स्थल का भवन जर्जर होने, 2 किमी0 से अधिक दूरी होने पर तथा 600 से कम मतदाता होने पर 47–हमीरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट 230–महोबा एवं 231–चरखारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदेय स्थलों का सम्भाजन/समायोजित कर आलेख्य सूची प्रकाशित कर दी गयी है जो तहसील महोबा/ चरखारी/कुलपहाड़ एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में निरीक्षण हेतु कार्यालय दिवस एवं कार्यालय समय में निःशुल्क उपलब्ध है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 230–महोबा एवं 231–चरखारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदेय स्थलों की प्रकाशित की गयी आलेख्य सूची में अंकित प्रविष्टि पर अथवा किसी मतदेय स्थल के संबंध में किसी व्यक्ति या राजनैतिक दल के प्रतिनिधि को आपत्ति/शिकायत/सुझाव हो तो वह अपनी आपत्ति/शिकायत/सुझाव लिखित रूप से संबंधित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में **दिनांक 25 जून, 2018** तक कार्यालय दिवस एवं समय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
महोबा ।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, महोबा।

संख्या 225 /निर्वाचन–मतदेय स्थल–2018 दिनांक 19 जून, 2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एँवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल बाँदा।

3– अध्यक्ष/सचिव, समस्त मौन्यता प्राप्त राजनैतिक दल जनपद महोबा को 230–महोबा एवं 231–चरखारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची की एक–एक प्रति इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त मतदेय स्थलों की सूची में यदि कोई आपत्ति/शिकायत/सुझाव हों तो **दिनांक 25 जून, 2018 तक** संबंधित उपजिलाधिकारी/तहसीलदार के कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

4– मा0 सांसद/विधायक जनपद महोबा।

5– समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद महोबा को मतदेय स्थलों के आलेख्य सूची सूचना पट पर चस्पा हेतु।

6– मुख्य विकास अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत,महोबा/समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत जनपद महोबा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

7– जिला सूचना अधिकारी महोबा को दस अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का समस्त दैनिक समाचार पत्रों में न्यूज आइटम की भाँति निःशुल्क प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें तथा कटिंग अभिलेख हेतु कार्यालय में उपलब्ध करायें।

8– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी महोबा को 230–महोबा एवं 231–चरखारी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची डीईओ पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु।

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
महोबा ।